न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०– एम०–18/18
धारा–107 द०प्र०सं०
कृष्ण मुण्डा.....प्रथम पक्ष
बनाम
रमेश सिंह मुण्डा उर्फ बबलु मुण्डा .....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
08 /02 /2019	प्रस्तुत वाद बुण्डू थाना के अप्राथमिकी संख्या–02/18 दिनांक–04/02/2018 द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। विवाद का कारण बुण्डू थाना काण्ड संख्या–02/18 दिनांक–06/01/2018, धारा–448/324/307 भा०द०वि० के तहत द्वितीय पक्ष पर लगाए गए आरोप है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदन दिया है कि द्वितीय पक्ष अत्यन्त लड़ाकू एवं बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। घटना दिनांक–05/01/2018 की है। प्रथम पक्ष खलिहान वाला घर में सोए थे। रात्रि–11:30 बजे गाँव के रमेश मुण्डा अचानक चाकू लेकर आया और चाकू से प्रथम पक्ष कृष्ण मुण्डा के गर्दन पर मार कर गंभीर रूप से ज़ख्मी कर दिया। द्वितीय पक्ष के रमेश मुण्डा मौका पाकर प्रथम पक्ष के कृष्ण मुण्डा पर कभी भी हमला कर सकते है। उक्त घटना के संबंध में द्वितीय पक्ष के विरूद्ध आई०पी०सी० की धारा–448/324/307 के तहत बुण्डू थाना में एफ०आई०आर० भी दर्ज है। बुण्डू थाना द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध चार्जशीट दायर किया जा चुका है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष पर जानलेवा हमला किया है। द्वितीय पक्ष कई महीने जेल में रहे हैं। जेल से निकलने के बाद अकसर धमकी देते हैं कि केस उठा लो नहीं तो अबकी बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। द्वितीय पक्ष अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदन दिया है कि उपरोक्त वाद भा०द०वि० की धारा–448/324/307 के आलोक में शांति बनाए रखने हेतु इस न्यायालय में भेजा गया है। प्रथम पक्ष का कहना है कि दिनांक–05/01/2018 को समय करीब 11:00 बजे जब में खाना खाकर सो रहा था। तब द्वितीय पक्ष सदस्य आकर मारे। गला में चाकू से वार कर ज़ख्मी किया, जो सत्य नहीं है। द्वितीय पक्ष राजेन्द्र आश्रम कन्या मध्य विद्यालय के छात्र हैं, जिनका जन्म तिथि–14/02/2002 है। उम्र लगभग 16 वर्ष है। प्रथम पक्ष के लोग पारिवारिक मतभेद होने के नाते द्वितीय पक्ष के लोगों को झुठा आरोप लगाकर मुकदमे में फसाने के नियत से इस मुकदमा का सृजन किया है। द्वितीय पक्ष की ओर से शांतिभंग होने की कोई संभावना नहीं है। <u>प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह:–</u> श्री कालीचरण मुण्डा पिता–डोमन सिंह मुण्डा ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि घटना –05/01/2018 रात्रि–11:00 से 11:15 बजे की है। घटना के वक्त मैं हल्ला–गुल्ला सुनकर घटना स्थल में पहूँचा। और प्रथम पक्ष के पिता से पूछा कि क्या बात है। उसने बोला की बबलु मुण्डा ने कृष्ण मुण्डा को चाकु से गर्दन में मारा है। बबलु मुण्डा वर्त्तमान में गाँव में नहीं रहता है। घटना के दिन से उभय पक्ष में झगड़ा नहीं सुना हूँ। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भविष्य में शांतिभंग हो सकता है। <u>प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:–</u> श्री कृष्णा मुण्डा, पिता–हरि मुण्डा ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि घटना –05/01/2018 की है। रमेश सिंह मुण्डा ने आकर चाकु मारा, जैसे ही चाकु मारा तो मैं जाग गया। बल्ब की रोशनी में बबलु मुण्डा को देखा। द्वितीय पक्ष रमेश सिंह मुण्डा जेल से निकलने के बाद धमकी देता है। 05/01/2018 के बाद द्वितीय पक्ष से झगड़ा नहीं हुआ है।

08/02/19

तिथि	आदेश	

द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाहः– श्री लागरा मुण्डा, पिता–स्व0 चरण मुण्डा ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं गाँव का ग्राम प्रधान हूँ। घटना के दिन रात 12 –01 बजे कृष्णा के पिताजी मुझे बुलाने घर गए एवं कृष्ण मुण्डा के पिताजी बोले की बबलू जो तुम्हारा परपोता है। वह कृष्ण मुण्डा को चाकु से मार दिया है। कृष्णा मुण्डा का गला का ज़ख्म चाकु से मारा गया दिख रहा था। घटना के समय कृष्ण मुण्डा के गले से खून निकल रहा था। घटना के वक्त मैं अपने घर में था। घटना होते मैंने नहीं देखा। मेरे विचार से उक्त घटना को बबलु मुण्डा नहीं किया है। अभी भी दोनों पक्ष के बीच में शांतिभंग होने, तनाव एवं डर–भय बना हुआ है।

द्वितीय पक्ष पार्टी गवाहः– श्री रमेश सिंह मुण्डा उर्फ बबलु मुण्डा, पिता–पुरन सिंह मुण्डा ने अपने गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मुझे कृष्ण मुण्डा केस किया है। हमको मारा है बोलकर केस किया है। यह बात गलत बोला है। घटना के बाद से मैं गाँव नहीं आया हूँ। जब कृष्ण मुण्डा को चाकु मार के ज़ख्मी किया गया। तब मैं वहाँ मौजूद था भाग नहीं गया था। पुलिस मुझे गिरफ्तार की थी। नाबालिक कोर्ट में जाकर बेल कराया।

द्वितीय पक्ष रमेश मुण्डा उर्फ बबलु मुण्डा न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, डुमरदगा, राँची सामान्य पंजी संख्या–267/2018, बुण्डू थाना काण्ड संख्या–02/2018, बिचारन बाद संख्या–01/2019 के आदेश की छायाप्रति तथा उनके पिता द्वारा दिनांक–21/01/2019 को निष्पादित Undertaking की छायाप्रति न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा, गवाहो की गवाही GR केस 267/2018 में पारित आदेश एवं विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष को आई.पी.सी की धारा–448 एवं 323 के अभियोगों में दोषी पाया गया है।

द्वितीय पक्ष किशोर है, अतः सी.आर.पी.सी. की धारा–117(ग) ***"जब वह व्यक्ति जिसके बारे में जाँच की जाती है, अवस्यक है, तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभूतियों द्वारा निष्पादित किया जाएगा।"*** उसपर लागू होगा। चूँकि GR केस 267/2018 में पारित आदेश के आलोक में द्वितीय पक्ष के पिता–पुरन सिंह मुण्डा द्वारा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं किए जाने एवं भविष्य में अच्छा आचरण बनाए रखने के Undertaking का निष्पादन कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे की शांतिभंग हो ।

वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

08/07/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

08/07/19

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:25:51 +05:30
Location: 192.168.43.107